न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 4/2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/63

अनवान

1. बालु पिता गोकल गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. अमरसिंह चारण – प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 06.10.2025

1. पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4043 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 4044 रकबा 0.74 है0, आराजी संख्या 4682/3961 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 4684/3962 रकबा 0.07 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.23 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 422 पर दर्ज रेकार्ड होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 तक की प्रस्तुत की है
2. कलम संख्या 1 में अंकित खाता संख्या में प्रार्थी के पिता का नाम चतरभुज जो कि राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन कर दिया जबकि प्रार्थी के पिता का नाम गोकल गुर्जर है। प्रार्थी के अन्य खाते खाता संख्या 611 व 429 में प्रार्थी के पिता का नाम गोकल गुर्जर ही दर्ज है। ग्राम सगरेव में बालु पिता चतरभुज के नाम से कोई व्यक्ति नही है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज में पिता का नाम गोकल गुर्जर नाम अंकित है।
3. अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजी संख्या 4043 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 4044 रकबा 0.74 है0, आराजी संख्या 4682/3961 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 4684/3962 रकबा 0.07 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 1.23 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 422 पर दर्ज रेकार्ड में नाम बालु पिता चतरभुज गुर्जर की जगह वालु पिता गोकल गुर्जर के नाम से दुरस्ती कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान फरमाया जावें।
4. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना में विपक्षी तहसीलदार रायपुर द्वारा जांच रिर्पोट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

सहायक कलक्टर

5. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम सगरेव के खाता संख्या 422 किता 4 कुल रकबा 1.23 है0 में खातेदार बालु पिता चतरभुज गुजर दर्ज रेकार्ड है। उक्त खातेदार के द्वारा बताया कि प्रार्थी का नाम बालु पिता गोकल गुर्जर व उसके पिता का नाम चतरभुज व गोकल दोनों नामो से जाना जाता था जिससे रेकार्ड में चत्रभुज दर्ज हुआ। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पास बुक, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड इस प्रकार मूल भूत दस्तावेज में बालु पिता गोकल गुजर दर्ज है। मूलभूत दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का नाम बालु पिता चत्रभुज के बजाय गोकल दर्ज किया जाना उचित है।

6. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से विचार किया तो पाया कि तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम चत्रभुज व गोकल दोनों नामों से जाना जाता है। साक्ष्य के रूप में नामान्तरण की प्रतिलिपी पूर्व की जमाबन्दी, प्रमाणित सजरा या अन्य कोई ऐसे दस्तावेज नही रखे गए जो प्रार्थी के कथन का समर्थन करते हो तथा लिपिकीय त्रुटी साबित करते हो। जिससे प्रकरण लिपिकीय त्रुटी की श्रेणी में नही आता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में केवल लिपिकीय त्रुटी के प्रकरणो का निर्णय किया जाता है परन्तु इस प्रकरण में कोई लिपिकीय त्रुटी साबित नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् साक्ष्य के रूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही करने से खारीज किया जाता है। प्रार्थी सक्षम धारा में न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद दायर कर राहत प्राप्त करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा